पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की ग्यारहवीं* बैठक (आपात्) शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

==

01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार करना।

टीप : समिति की अनुशंसा से संबंधित बंद लिफाफा माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

03. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

माननीय कार्यपरिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 29.05.2015 के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.15 में वि.वि. कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार बाबत्।

––00––

विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा पत्र कमांक/501/क.सं./2015 रायपुर दिनांक 22.04.2015 के द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त परीक्षण कर निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के अधिसूचना कमांक/1488/सा.प्रशा./2015 रायपुर दिनांक 15.05.2015 के द्वारा निम्नानुसार सदस्यों की उपसमिति का गठन किया गया था :–

1.	श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबंधु एवं माननीय कार्यपरिषद् सदस्य	–	अध्यक्ष
2.	श्री शिवरतन जी शर्मा, माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
3.	श्री नवीन मारकण्डेय, माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
4.	श्री एस.आई.शाह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	–	सदस्य
5.	डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक एवं कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
6.	डॉ. जे.एल.गंगवानी, उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–	संयोजक

समिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को अपरान्ह् 03.00 बजे, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें श्री ललित सुरजन, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री एस.आई.शाह एवं डॉ. जे.एल.गंगवानी उपस्थित रहे।

उपसमिति द्वारा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के विभिन्न बिन्दुओं, पर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप के परीक्षण उपरान्त की गई **अनुशंसा से संबंधित बंद लिफाफा माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत।**

प्रति,

अध्यक्ष,
मान. कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.,
रायपुर

विषयः– कर्मचारी संघ के मांग पत्र में उल्लेखित 11 बिन्दुओं का परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उप समिति की अनुशंसा का प्रेषण।

सदर्भः– वि.वि. अधिसूचना क्र.1488/सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांक 15.05.2015.

विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के तारतम्य में गठित उप समिति की कार्यवाही बैठक दिनांक 18.05.2015 को श्री ललित सुरजन की अध्यक्षता में संपन्न की गयी। जिसमें कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी विभिन्न मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की गयी।

साथ ही बैठक के समापन के पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह ठाकुर एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री रामेश्वर राठौर को समिति के समक्ष बुलाकर उनके द्वारा प्रस्तुत 11 मांगों पर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

उप समिति द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल वि0वि0 कर्मचारी संघ रायपुर द्वारा प्रेषित मांग पत्र कमांक 501/क.स./2015 रायपुर दिनांक 22.04.2015 में उल्लेखित 11 मांगों का बिन्दुवार परीक्षण कर समिति का अभिमत निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

बिन्दु कमांक 01

विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं माननीय मुख्य सचिव छ.ग. शासन के निर्देश का पालन करते हुए पात्रता प्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदाय किया जावे।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

प्रकरण के संबंध में विधिक सलाहकार से प्राप्त विधिक अभिमत प्रस्तुत किया गया जिसमें विधिक अभिमत के सभी बिन्दुओं पर समिति ने सहमति व्यक्त की।

सभी संघों के प्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर जिस पर कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरांत वर्ष 2000 में पदोन्नति आदेश को विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश कमांक 293/सा. प्रशा./2005 रायपुर दिनांक 02.02.2005 के द्वारा यथावत रखा है। तत्पश्चात् वर्ष 2005 में वरिष्ठता सूची जारी की गयी।

अतः इसी प्रकार कर्मचारी संघों को आपत्ति न होने के कारण वर्ष 2008 एवं 2011 में भी विद्यमान वरिष्ठता सूची के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नतियाँ प्रदाय की गयी है। अर्थात् कर्मचारी संघ को वर्ष 2011 की वरिष्ठता सूची मान्य थी।

साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि– 1994 की वरिष्ठता से संबंधित याचिका क्र. WP(S) 2364/12 (श्री एम.के. भिड़े एवं अन्य) लंबित है एवं इस याचिका के संबंध में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्णय में इस बात का

भी उल्लेख किया गया है कि– कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही न की जाए।

इस संबंध में मान. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से प्रकरण पर लिए गए विधिक अभिमत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि– **"माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अनेकों प्रकरणों में यह उल्लेख किया गया है कि– जब एक बार वरिष्ठता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है तो पुनः या बार–बार अंतिम वरिष्ठता सूची को नए सिरे से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वरिष्ठता सूची को सदैव वाद–विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।"**

विधिक अभिमत में यह अभिमत दिया गया है कि– **विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03.05.1995 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखे गए पदों पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।**

दुबारा वरिष्ठता सूचियों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एवं उन्हें वर्ष 2011 की वरिष्ठता सूची के आधार पर ही आगे पात्रतानुसार पदोन्नति प्रदान की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में समिति अनुशंसा करती है कि–

1. वर्ष 1994 में जारी वरिष्ठता सूची में तब–तक परिवर्तन नहीं किया जाना है जब–तक की माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका कमांक 2364/2012 में अंतिम निर्णय न आ जावें।
2. वर्ष 2000 में सभी कार्मचारियों की सहमति के आधार पर आवश्यकतानुसार सभी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। जिसमें कई कर्मचारियों को एक साथ दो पदोन्नतियॉं भी प्राप्त हुई है।

   अतः इसमें आरक्षित वर्ग के कोई कर्मचारी यदि पदोन्नति से वंचित हो गए हों या त्रुटिवश छूट गए हों तो आदेश दिनांक 03.05.1995 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखे गये पदो पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थीयों हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।
3. सभी कर्मचारियों की 2005, 2008 एवं वर्ष 2011 में घोषित वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नतियॉं हुई है। अतः वर्ष 2011 में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी कर्मचारियों की आगे पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

बिन्दु कमांक 02

आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रदाय की जानी वाली अग्रिम यथा त्यौहार, चिकित्सा को छोड़कर कार, मोटर सायकल, कम्प्यूटर, आनाज अग्रिम, व्यक्तिगत ऋण भी अचानक बंद कर दिया गया है को पुनः प्रारंभ किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप पर विचार विमर्श किया ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को शासन के द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशानुसार वेतन भत्ते एवं अन्य वित्तीय सुविधाऐं प्रदान की जाती है।

इसी तारतम्य में शासन के द्वारा अनेक प्रकार के ऋण एवं अग्रिम की सुविधा समाप्त कर केवल त्यौहार अग्रिम की सुविधा को यथावत रखा गया है जिसकी राशि बढ़ाकर रू. 8000/– प्रतिवर्ष की गई है।

शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से प्रचलित ऋण एवं अग्रिम की सुविधा समाप्त करते हुए त्यौहार अग्रिम की राशि को रू. 8000/– करते हुए सत्र 2015–16 के बजट में प्रावधानित किया गया है। इसी के साथ चिकित्सा अग्रिम का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए **कुलपति आकस्मिक सहायता निधि** के माध्यम से भी आवश्यकता होने पर, वित्तीय सहायता दिए जाने की व्यवस्था लागू है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि– पूर्व में आंतरिक व्यवस्था के तहत् कर्मचारियों को दी जा रही चिकित्सा भत्ते रू.500/– के लिए आडिट विभाग द्वारा आपत्तियॉ की जाती रही हैं।

बैंकों के द्वारा सभी नागरिको को विभिन्न कार्यों हेतु ऋण की सुविधा सुलभता से उपलब्ध करायी जा रही है। अत्यन्त गंभीर प्रकरणों में **कुलपति आकस्मिक सहायता निधि** के माध्यम से वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था लागू है। अतः समिति ने शासन के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की।

बिन्दु क्रमांक 03

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में एक कर्मचारी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग पर शासन द्वारा प्राप्त पत्र कमांक 146/ आयुक्त, उच्च शिक्षा/वि.वि. अनु./2013 रायपुर, दिनांक 06.03.2013 का संशोधन प्रस्ताव अतिशीघ्र शासन को प्रेषित करने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

यह मांग विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित है। इसके लिए शासन स्तर पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में आवश्यक संशोधन किया जाना होगा एवं तत्पश्चात् माननीय विधान सभा में संशोधन किए जाने के पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकेगी।

इस समिति का यह भी मानना है कि– विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारियों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था बनी रहे। चूंकि वर्तमान में विश्वविद्यालय कोर्ट की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इस लिए उनके द्वारा इस प्रकार मांग की जा रही है ताकि कर्मचारियों को अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अच्छा वातावरण निर्मित हो सके।

इस संबंध में कर्मचारी संघ की इस मांग का उल्लेख करते हुए, शासन को पुनः एक पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक 04

विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से पद अनुरूप कार्य लिया जावे तथा शासन के स्थानान्तरण नियमों का पालन करते हुए 10–15 वर्षों से एक ही सीट में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण करने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण नहीं किया जा सका है। अतः कार्यरत विभिन्न पदों के कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्वों के मानदण्ड निर्धारित किए जाने आवश्यकतानुसार उन्हें विभिन्न अलग–अलग कार्यों में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिए जाने एवं विश्वविद्यालय हेतु एक मानव संसाधन नीति के निर्माण हेतु आवश्यक पहल किए जाने की अनुशंसा की जाती है। ताकि कर्मचारियों को अलग–अलग विभिन्न

विभागों में कार्य करने की दक्षता मिल सके एवं उनके व्यक्तिगत उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो सके।

साथ ही समिति यह भी अनुशंसा करती है कि– अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किए जाने की एक योजना बनायी जावे एवं ऐसी नीति निर्धारित की जावे जिसके तहत् प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् अथवा निर्धारित अवधि के पश्चात् कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सुव्यवस्था निर्धारित हो सके।

बिन्दु कमांक 05

विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का शेष है ऐसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय के परिपालन में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ तत्काल प्रदान किया जावे।

साथ ही शासन के निर्देशनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विकल्प चयन की सुविधा का अवसर प्रदान किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसा:–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश कमांक 145/एफ 2015–21–00650/वि/नि/चार नया रायपुर, दि. 14.05.2015 के निर्देशानुसार कर्मचारियों से पुनः विकल्प भराए जाने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2015 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दिए जाने को कहा गया है कि 31 जुलाई 2015 के उपरांत विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

अतः सर्वसम्मति से समिति– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को संघ की मांग के अनुरूप, कर्मचारी हित में शासन के उपरोक्त आदेश को यथावत् अगीकृत करते हुए एक अवसर दिए जाने हेतु प्रकरण को मान. कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने की अनुशंसा करती है।

बिन्दु कमांक 06

विश्वविद्यालय के द्वारा छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान के तहत पी–एच.डी. में अध्ययनरत कर्मचारियों को भी शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान किया जावे।

साथ ही जिन कर्मचारियों की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शेष है उन्हें तत्काल प्रदान किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसा:–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 45 के प्रावधानों के तहत् विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को पी–एच.डी. की शिक्षण शुल्क में छूट दी जाती है। यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तो निःसंदेह कर्मचारियों को अपने शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास का अवसर मिलेगा।

अतः समिति प्रत्येक वर्ष निर्धारित संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी उपरोक्तानुसार सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा करती है। साथ ही संख्या निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जावे कि विश्वविद्यालय के दैनंदिन कार्य में बाधा न पड़े। इसके नियम यथाशीघ्र तैयार किया जाए। तदानुसार अध्यादेश–45 में संशोधन की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा करती है।

बिन्दु कमांक 07

विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तकनीशियनों में से मात्र 05 प्रयोगशाला तकनीशियनों का विश्वविद्यालय द्वारा लाभ प्रदाय किया गया है। ठीक उसी प्रकार प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रात्रतानुसार लाभ प्रदाय किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

मांग के इस बिन्दु के संबंध में समिति यह अनुशंसा करती है कि– विश्वविद्यालय प्रशासन, शासन को पुनः एक बार पत्र प्रेषित करे जिसमें यह उल्लेख किया जावे कि– कुछ वर्ष पूर्व राज्य शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तकनीशियन के 05 पदों को नाम सहित तकनीकी सहायक के पद पर उन्नयन किए जाने संबंधी आदेश जारी किए थे, उसी प्रकार विश्वविद्यालय में कार्यरत शेष प्रयोगशाला तकनीशियन को भी तकनीकी सहायक के पद पर उन्नयन करने की अनुमति प्रदान करें।

बिन्दु कमांक 08

विश्वविद्यालय में (सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी) अधिकारियों के पदों पर कार्यरत संविदा अधिकारियों को शासन के आदेशानुसार तत्काल हटाकर विश्वविद्यालय के कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक एवं कनिष्ठ अधीक्षक को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में पदस्थ करने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में सर्वसम्मति से समिति यह अनुशंसा करती है कि– कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी यह मांग कर्मचारी संघ के कार्यक्षेत्र के बाहर का विषय है। अतः इस विषय पर विचार करना या इसे संज्ञान में लेना उचित नहीं है।

बिन्दु कमांक 09

विश्वविद्यालय में 20–25 वर्षो से सेवा दे रहे 08 दैनिक वेतन कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए शासन के पत्रों पर पुनः विचार करते हुए परिनियम 31 के अनुसार एवं शासन के आदेश कमांक एफ–12–2/2013/1–3 रायपुर दिनांक के अनुकम में दिनांक 17.01.2014 के अनुसार नियमितीकरण बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

इस मांग के संबंध में समिति अनुशंसा करती है कि– विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शासन को पुनः एक पत्र प्रेषित किया जावे जिसमें इस बात का उल्लेख किया जावे कि– विश्वविद्यालय में कार्यरत शेष 08 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो पूर्व में योग्यता/अर्हता पूरी नहीं करते थे, उनके द्वारा वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता पूर्ण कर ली गयी है। ये कर्मचारी विश्वविद्यालय से निरंतर नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं।

इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित किए जाने के कारण विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। शासन से इस संबंध में यह भी निवेदन किया जावे की चूँकि ये कर्मचारी लम्बे समय से विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हैं इसलिए इन्हें नैसर्गिक न्याय के तहत् निर्धारित आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु निवेदन किया जावे।

बिन्दु क्रमांक 10

प्रथम श्रेणी लिपिकों का वेतनमान (अन्य वर्गों को प्रदत्त वेतनमान की भांति) रूपये 5000–8000 मान्य करते हुए भुगतान करने बावत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

इस मांग के संबंध में समिति अनुशंसा करती है कि– कर्मचारी संघ की इस मांग के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शासन को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे।

बिन्दु क्रमांक 11

जिन कर्मचारियों की सेवावधि 02 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एवं जिन्हें स्थायीकरण की पात्रता है ऐसे कर्मचारियों का स्थायीकरण तत्काल किये जाने बावत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि– पात्रतानुसार विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश की प्रकिया प्रकियाधीन है एवं यथाशीघ्र स्थायीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।

समिति ने प्रशासन द्वारा दी गयी जानकारी से सहमति व्यक्त की।

25/05/2015

(लक्षित सुरजन) (नवीन मारकण्डेय) (एस.आई. शाह) (डॉ. जे.एल. गंगवानी)

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Reg. No. C.G./ 661 /2002
Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G).
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

प्रति,

श्रीमान् कुलसचिव जी,
पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर , छ.ग.

दिनांक 17.05.2015

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 में पारित आदेश के संदर्भ में पदौन्नति की कार्यवाही एवं वरिष्ठता के प्रकरण पर विधिक अभिमत।

माननीय कुलसचिव जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत, विश्वविद्यालय के परिनियम, विनियम एवं माननीय उच्च के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 में पारित आदेश तथा वरिष्ठता सूची से संबंधित अभिलेखों के अध्ययनोपरांत, निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते है :–

1. यह कि, विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 20/03/1995 के माध्यम से कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक एवं उच्च वर्ग लिपिक के पदों पर पदौन्नति हेतु आदेश जारी किये गये थे, जिन्हें पुनः विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पदों को रिक्त रखा जाकर, शेष अनारक्षित पदों पर पदौन्नति हेतु संशोधित आदेश जारी किये गये थे।

2. यह कि, उक्त संशोधित आदेश से व्यथित होकर, एन. के. सोनी{ कक्ष अधिकारी }, आर. ए. माहोबिया {वरिष्ठ अधीक्षक}, बी. के. परहद {कनिष्ठ अधीक्षक}, के. पी. ठाकुर {उच्च वर्ग लिपिक ग्रेड –1} एवं सुधीर शर्मा { उच्च वर्ग लिपिक ग्रेड –2} के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दिनांक 31/10/1995 को रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 के माध्यम से विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 को चुनौती दी गयी थी । उक्त याचिका पर दिनांक 06.11.1995 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी हुयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा यह आदेशित किया गया था कि , Meanwhile, Status quo as it exists today in relation to petitioner's employment shall be maintained until further orders. अर्थात् दिनांक 06/11/95 की स्थिती में याचिकाकर्त्ताओं की स्थिती पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इस प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि, विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिये गये था। परन्तु दिनांक 06/11/95 की स्थिती में याचिकाकर्त्ता जिस पद पर कार्यरत् थे उसी पद पर उनकी स्थिती को बनाये रखने का आदेश दिया गया था।

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Reg. No. C.G./ 661 /2002
Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G).
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

अतः दिनांक 19/02/2013 को रिट याचिका के खारिज हो जाने के परिणामस्वरुप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06/11/95 का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है तथा विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 03/05/1995 भी अपनी अंतिमता प्राप्त कर लेता है।

3. यह कि, रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 में वरिष्ठता से संबंधित कोई विवाद नहीं था और उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन से भी यही स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 1994 में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची पर, किसी न्यायालय के द्वारा कोई स्थगन आदेश/अंतिम आदेश आज दिनांक तक पारित नहीं किया गया है।

4. यह कि वर्ष 1994 में जारी अंतिम वरिष्यता सूची के आधार पर पूर्व में पदौन्नति की कार्यवाही पर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारिय संघ के द्वारा भी अपनी सहमति, पत्र दिनांक 29.9.2000 के माध्यम से प्रदान थी एवं पत्र दिनांक 01.04.2005 के माध्यम से वर्ष 1994 की इसी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदौन्नत हुये सभी, कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव के प्रति आभार व्यक्त करते हुये प्रसारित अंतिम वरिष्ठता सूची पर अपनी संतुष्टी प्रदान की गयी थी तथा कालांतर में वर्ष 2005, 2008 एवं 2011 में पदौन्नति प्राप्त की गयी थी।

5. यह कि, वरिष्ठता सूची से संबंधित एक प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसे महेन्द्र भिन्डे एवं जे. पी. पुरैना के दायर किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस रिट याचिका में दिनांक 10.02.2012 को तथाकथित रुप से जारी की गयी अंतिम वरिष्ठता सूची की वैधानिकता का विवाद निहित है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से दायर Review Petition No.26/2013 में अपने आदेश दिनांक 27.11.2013 में उल्लेखित किया है। अतः रिट याचिका कमांक 2364/2012 की लंबन अवधि में, याचिकाकर्ता से संबंधित वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये क्योकि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि रिट याचिका कमांक 2364/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.7.2012 के द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 06.06.2012 पर स्थगन आदेश दिया गया है। अर्थात दिनांक 06.06.2012 के पूर्व का निर्णय ही प्रभावशील माना जायेगा, जो कि दिनांक 27.02.2012 को कुलसचिव महोदय के द्वारा लिया गया था। इसी प्रकार से Cont. Case No. 122/2013 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2013 में भी वरिष्ठता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि, लंबित याचिका कमांक 2364/2012 के अंतिम निराकरण के पूर्व बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी प्रकार का संशोधन विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया जाना चाहियें।

6. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनेको प्रकरणों में यह उल्लेखित किया गया है कि "जब एक बार वरिष्ठता सूची का अंतिम रुप से प्रकाशन कर दिया गया है, तो पुनः या बार– बार , अंतिम वरिष्ठता सूची को नये

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com